

(५)

राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड - 3 अजमेर | दि. नवंबरोती ०१/३/२०१६

राजस्थान आवासन मण्डल

आवासीय योजना नसीराबाद, अजमेर में पंजीकृत/अपंजीकृत आवेदकों के लिए किराया क्रय पद्धति/नकद भुगतान पद्धति पर खुली विक्री योजना के माध्यम से निर्मित आवासों (जहाँ है जैसे हैं) का आवंटन

आवेदन प्राप्ति करने की तिथि

01.03.2016

“पहले आओ पहले पाओ”

का स्वर्णिम अवसर

आवेदन एवं आवास आवंटन करने की अंतिम तिथि

17.03.2016

राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति नियतारण अधिनियम १९७० के नियमानुसार अजमेर खण्ड की नसीराबाद योजना में आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में निर्मांकित निर्मित सकानों का खुली विक्री योजनान्तर्गत ‘जहाँ है जैसा है’ के आधार पर नियतारण किया जाना निश्चित हुआ है:-

क्र. सं.	प्रेणी	आवास संख्या	सामान्य आवास का बोगफल (व.भी.)	निर्मित बोगफल (व.भी.)	सामान्य आवास की लागत	आवेदन पत्र के साथ जमा करने योग्य राशि	नकद भुगतान पद्धति के प्रकार में	किराया क्रय पद्धति के प्रकार में
(अ) नसीराबाद योजना के आवासों की सूची								
1	EWS	4/53, 4/62, 4/63, 4/69, 4/71, 4/78, 4/89, 4/99, 4/131, 4/133, 4/140, 5/180-ए, 5/207, 5/207-डी, 5/319, 5/328, 5/335, 5/349, 5/350, 5/354, 6/108, 6/111, 6/115, 6/116, 6/121, 6/129, 6/135, 6/136, 6/141, 6/146, 6/156, 6/159, 6/180, 6/166, 6/170, 6/175, 6/178, 6/184, 6/206, 6/262=40	4.00x11.00 = 44.00	26.677	7,10,900	12,500.00	12,954.00	
2	LIG	2/113, 4/28, 4/115, 4/118, 5/148, 5/153, 5/172, 6/11, 6/16, 6/19, 6/44, 6/47, 6/49, 6/188, 6/194, 6/200, 6/216 = 17	6.00x12.00 = 72.00	39.306	13,69,300	25,700.00	26,632.00	

खुली विक्री के सम्बन्धित नियम य शर्तें मण्डल की वेबसाइट www.rboonline.rajasthan.gov पर देखी जा सकती है।


आवासीय अभियंता, अजमेर

य विक्रय अधिकारी

दीनबलनव व्यापार-मंगलवार, २०१६ फ़ूल-११

01/3/2016
के.आर. जीवनराज
आवास आवंटन
राजस्थान मण्डल
अजमेर

- (1) लागत के अतिरिक्त लीज राशि, विविध खर्च कॉर्नर चार्ज एवं अतिरिक्त भूमि (यदि कोई हो) की राशि एवं अन्य राशियाँ बोर्ड नियमानुसार देय होगी।
- (2) आवासो का आवंटन "जहाँ है जैसा है" की स्थिति पर किये जावेंगे तथा इस विषय में कोई आक्षेप स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- (3) आवासो का आवंटन प्रस्तुत आवेदन फार्म में अंकित विकल्प के क्रम में आवास की उपलब्धतानुसार किया जावेगा।
- (4) इस योजना में पूर्व पंजीकृत एवं नये (अपंजीकृत) दोनों प्रकार के आवेदकों के आवेदन पत्र स्वीकार किये जावेंगे, किन्तु पंजीकृत आवेदक को वरीयता दी जायेगी।
- (5) इस योजना में आवास आवंटन हेतु वरीयता का क्रम इस प्रकार रहेगा। नगद भुगतान प्रद्वति के पूर्व पंजीकृत आवेदक, नगद भुगतान प्रद्वति के नए आवेदक, किराया क्रय पद्वति के पुर्व पंजीकृत आवेदक तथा किराया क्रय पद्वति के नए आवेदक।
- (6) आवास के आवंटन हेतु आवेदन फार्म मूल आवेदक के स्वयं उपस्थित होने पर ही स्वीकार किये जावेंगे।
- (7) योजना में प्रस्तावित किसी भी आवास को लेकर विवाद उत्पन्न होने पर उक्त आवास के संबंध में निर्णय करने के लिए मण्डल स्वतंत्र होगा।
- (8) योजना के नियम, शर्तें एवं अन्य विवरण का उल्लेख आवेदन फार्म में वर्णित है।
- (9) आवेदकों को पहचान स्वरूप पहचान पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड, फोटो युक्त राशन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस इत्यादि में से एक की छाया प्रति एवं पते का प्रमाण स्वरूप बिजली, पानी, टेलीफोन बिल में से एक की सत्यापित छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ सलंग्न करनी होगी।
- (10) आवेदन पत्र योजनावधि में प्रत्येक कार्यादिवस को प्रति दिन सायं तीन बजे तक प्राप्त किये एवं आवास आवंटित किये जायेंगे तथा एक ही आवास हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर उसी दिन सायं 3.30 बजें लॉटरी से आवास आवंटन किया जावेगा।
- (11) पूर्व पंजीकृत आवेदकों का पंजीकरण निरस्त नहीं होना चाहिए एवं पुनर्जीवित (यदि कोई हो) से संबंधित साक्ष्य तथा पूर्व पंजीकरण के अन्तर्गत जमा राशि के रिफण्ड नहीं होने अथवा पंजीकरण के अन्तर्गत कोई अन्य आवास आवंटित नहीं होने बाबत 20/- रुपये के नोन ज्यूडिसल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से सत्यापित शपथ—पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (12) आवंटन पश्चात निरर्धारित तिथि तक राशि जमा नहीं कराने पर प्रचलित नियमानुसार कटौती करते हुए जमा राशि लौटा दी जाएगी।
- (13) सर्विस टैक्स एवं अन्य सरकारी टैक्स नियमानुसार देय होंगे वर्तमान में इस योजना में नगद भुगतान पद्वति के तहत आवंटन पर सर्विस टैक्स देय नहीं होगा।
- (14) खुली बिक्री योजना के आवेदन पत्र 100/- का नगद भुगतान जमा कर दिनांक 01.03.2016 से कार्यालय समय में खण्ड कार्यालय से कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते हैं।



डॉ. जयेश पटेल
अध्यक्ष
राजस्थान मण्डल

आवासीय अभियन्ता ज्यूडिसल अजमेर
वैशाली नगर, अजमेर।
फोन नं. 0145-2641894